रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12092025-266097
CG-DL-E-12092025-266097

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 573] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 10, 2025/भाद्र 19, 1947
No. 573] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 10, 2025/BHADRA 19, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 617(अ).— केन्द्रीय सरकार बॉयलर अधिनियम, 2025 (2025 का 12) की धारा 39 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तकनीकी सलाहकार (अर्हता, अनुभव, वेतन और भत्ते) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से बॉयलरअधिनियम, 2025 (2025 का 12) अभिप्रेत है;

(ख)"सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है;

(ग) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य" से, केन्द्रीय या राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय या संस्थान, "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद" द्वारा अनुमोदित इंजीनियरिंग कॉलेज, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित निजी या डीम्ड विश्वविद्यालय, इंजीनियर्स संस्थान अभिप्रेत है ।

(घ) “तकनीकी सलाहकार” से, अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त तकनीकी सलाहकार अभिप्रेत है ।

(2) इन नियमों में ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियां जिनका प्रयोग किया गया है, परंतु जो परिभाषित नहीं किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए नियत है।

3. निम्नलिखित अर्हता और अनुभव रखने वाले व्यक्ति तकनीकी सलाहकार के रूप में नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात:-

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री या समतुल्य; और

(ख) अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन से संबंधित प्रबंधकीय क्षमता या बॉयलर के विनिर्माण या प्रचालन या रख-रखाव या निरीक्षण में पंद्रह वर्ष का अनुभव।

4. सेवा के वेतन और भत्ते तथा निबंधन और शर्तें वही होंगी जो भारत सरकार के समतुल्य स्तर के सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क' के राजपत्रित अधिकारियों के लिए लागू हैं।

[फा. सं. पी-30015/8/2025-बॉयलर]

डॉ. संध्या भुल्लर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department For Promotion Of Industry And Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2025

G.S.R. 617(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 39 of the Boilers Act, 2025 (12 of 2025), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Technical Adviser (qualification, experience, salary and allowances) Rules, 2025.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. – In these rules, unless the context otherwise requires, –

   (a) "Act" means the Boilers Act, 2025 (12 of 2025);

   (b) "Government" means the Government of India;

   (c) "Recognised University or equivalent" means a Central or State funded University or Institution, Engineering College approved by "All India Council for Technical Education", Private or Deemed University approved by the University Grants Commission, Institution of Engineers;

   (d) "Technical Adviser" means the Technical Adviser appointed under sub-section (1) of section 4 of the Act;

   (2) Words or expressions used in these rules but not defined shall have the meaning assigned to them in the Act.

3. A person to be appointed as Technical Adviser shall have the qualification and experience, namely:-

   (a) a bachelor's degree in Mechanical Engineering from a recognised University or equivalent; and

   (b) fifteen years experience in a managerial capacity in the implementation of the Act and the rules and regulations thereunder or in the manufacture or operation or maintenance or inspection of boilers.

4. The salary and allowances and terms and conditions of service shall be as applicable to the General Central Service Group'A' Gazetted officers of the equivalent level in the Government of India.

[F. No. P-30015/8/2025-Boiler]

Dr. SANDHYA BHULLAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.09.12 11:55:22 +05'30'